भारतीय पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार

घनश्याम देवड़ा – शोधार्थी, इतिहास विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

सारांश

कानून लागू करने की एजेंसी के रूप में पुलिस का अस्तित्व सभी समाजों में रहा हैं। यह सामाजिक नियंत्रण की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। पुलिस वर्तमान समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी, गंभीर और ईमानदार पुलिस बल के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। भारत में पुलिस व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। अतः पुलिसकर्मियों में व्याप्त वर्तमान भ्रष्टाचार भी उन्हें विरासत में मिला है।

भ्रष्टाचार ने आधुनिक जीवन के हर क्षेत्र को संक्रमित कर रखा है। पुलिस बल भी इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, परंतु आज तक उसकी तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। इस शोध पत्र में पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणों की चर्चा करते हुए इसे नियंत्रित करने के सुझाव दिये गये हैं।

प्रस्तावना –

भारत में भ्रष्टाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। समाज का कोई अंग इससे अछूता नहीं है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई स्वरूप दिखाई देते हैं। इनमें से प्रमुख रूप है– रिश्वत लेना। अवैध या बेईमानी का कार्य करने के लिए प्रलोभन के रूप में नकद या वस्तु उपहार के रूप में देना रिश्वत कहलाता है। कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहते हैं कि किसी राज्य का सुराग प्राप्त करने के लिए प्रलोभन एक नरम तरीका है। उन्होंने यह बात राज्य के संदर्भ में कही थी। आज पुलिसकर्मी व्यैक्तिक स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस विभाग में रिश्वत एक स्तरीय प्रक्रिया है। कांस्टेबल रिश्वत लेते हैं और इसे उपर के अधिकारियों तक पहुँचाते रहते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात है कि पुलिस शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों से पैसा वसूल लेती हैं। पुलिस अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर दोहरा लाभ उठाती है। वे किसी ईमानदार व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं और उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताडित करते हैं। हफ्ता वसूली उसका एक ओर उपक्रम है। साप्ताहिक निश्चित राशि गरीब लोगों जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, दूकानदार आदि से वसूली जाती है। विशेषकर दूकानदारों के साथ इस तरह के मामले बहुतायत से होते हैं। पुलिस विभाग में हफ्ता वसूली की यह दर कांस्टेबल के लिए 10 रूपये से 2000 रूपये एवं अधीक्षक उपअधीक्षक के लिए 1000 से 10,000 रूपयें हैं। अतः कह सकते हैं कि नीचे से लेकर उपर तक सारी व्यवस्था ही इसमें भ्रष्ट है।

किसी भी समान विचारधारा या सिद्धांत के अभाव में आपसी हित के प्रति आश्वस्त हो परस्पर लेन–देन भी एक स्वरूप है। सार्वजनिक जीवन के किसी विशिष्ट पद पर आसीन व्यक्ति से संबंध बनाकर उसके व स्वयं के स्वार्थ हितों की पूर्ति की जाती है।वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार प्रलोभन लेकर या देकर कर्त्तव्य का उल्लंघन करने का अनुचित विचार भ्रष्टाचार होता है। यह प्रलोभन धन के रूप में ही हो यह आवश्यक नहीं है, कीमत, पुरुस्कार, उपहार या अन्य किसी रूप में भी हो सकता है।

संथानम समिति की रिपोर्ट 1964 के अनुसार ''सार्वजनिक क्षेत्र में किसी सार्वजनिक पद का अपनी शक्ति और प्रभाव से अनुचित प्रयोग भ्रष्टाचार है।'' भ्रष्टाचार आज प्रशासन के विभिन्न स्तरों में फैल गया है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति व अधिकार का दुरुपयाग तो आम बात है। पुलिस अधिकारियों का व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग पुलिस भ्रष्टाचार कहलाता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार केवल भारतीय पुलिस की समस्या नहीं है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी कई घोटालों में डूबी हुई हैं। ब्रिटिश पुलिस भी इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में इस क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पुलिसियों का भ्रष्टाचार उनके प्रति घृणा भाव जाग्रत करता है।

पुलिस या पुलिस कर्मी शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन में सर राबर्ट पील से मानी जाती है, जिसे पीलमेन 'Peelman' के रूप में नियुक्त किया गया था। पुलिस व्यवस्था पूरे समाज के चरित्र को दर्शाती है। जब संपूर्ण समाज व्यवस्था भ्रष्टता के पंक में डूबी

हुई है तो हमें पुलिस अधिकारियों के ईमानदार होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 161 भ्रष्टाचार को अवैध परितोषण के रूप में परिभाषित करती है जिसमें न केवल आर्थिक लाभ अपितु अन्य संतुष्टियां भी शामिल है।

पुलिस भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारियों द्वारा वित्तीय लाभ, अन्य व्यक्तिगत लाभ या कैरियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया दुराचार का एक विशिष्ट रूप है। पुलिस भ्रष्टाचार का एक सामान्य रूप यह भी है कि संगठित दबाव, वेश्यावृत्ति या अन्य अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट नहीं बनाने के लिए रिश्वत के रूप में विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती है। बड़े शहरों में आन्तरिक मामलो की पुलिस जाँच की संदिग्धता सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में पुलिस कर्मी व्यवस्थित ढंग से संगठित अपराध के हिस्सेदार बन जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कानून प्रवर्तन के लिए जारी की गई आचार संहिता के अनुसार कोई भी कानून प्रवर्तन अधिकारी भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य में भाग नहीं लेगा और इस तरह के सभी कृत्यों का कडाई से मुकाबला करेगा। भारत में पुलिस आयोगों की विभिन्न खबरों से यह अनुमान लगाया जाता है कि पुलिस में सामान्य स्तर पर यातायात आदि में, प्रतिवर्ष लगभग 3899 करोड रूपये भ्रष्टाचार के रूप में वसूले जाते हैं। पुलिस अधिकारी हर कर्तव्य को पूरा करने के लिए उपहार प्राप्त करते हैं। शिकायतकर्ता के शिकायत दर्ज कराने से लेकर हर कार्य इसमें सम्मिलित है। भारत के विभिन्न राज्यों में गठित पुलिस आयोगों ने पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए कहा है कि ''पुलिस विभाग में आज कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भारत में पुलिस बल के गैर राजपत्रित वर्ग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। यह पुलिस कर्मियों के नैतिक चरित्र पर लांछन स्वरूप है। कई माफिया गिरोह या दादाओं से मिली भगत, झूठे सबूत बनाना, सही सबूत मिटाना, समय–समय पर निश्चित भुगतान प्राप्त करना या हफ्ता वसूली, गिरफ्तारी कर मानहानि करना जैसे तथ्य रिश्वत के साथ पुलिस भ्रष्टाचार के तरीके हैं।

पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्ट्र कृत्यों को अग्रानुसार देख सकते हैं–

1. प्राधिकारी होने का भ्रष्टाचार– पुलिस अधिकारी होने के नाते मुफ्त पेय, भोजन व अन्य उपादान प्राप्त करना।
2. रिश्वत– ठेकेदार, ऑपरेटर जैसे व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों से किसी कार्य के एवज में भुगतान प्राप्त करना।
3. चोरी– अपराधी, गिरफ्तार व्यक्ति और लाशों से यथाअवसर सामग्री चुराना।
4. शेकडाउन– किसी आपराधिक घटना की छानबीन नहीं करने के लिए रिश्वत लेना।
5. अवैध गतिविधि का संरक्षण– वेश्यालयों, कैसीनो, ड्रग डीलरो जैसे अवैध प्रतिष्ठानों के संचालकों को कानूनी प्रवर्तन से बचाने के लिए भुगतान स्वीकार करना।
6. फिक्सिंग– न्यायिक सुनवाई के समय किसी पक्ष से रिश्वत लेकर सबूत प्रदर्शित करने में नाकाम रहना।
7. आंतरिक भुगतान– कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर छुट्टियों आदि में बदलाव या अनुलाभ प्राप्त करना।
8. नशीली दवाओं के मामले में सबूत जोडने और फ्रेम–अप करने में।
9. टिकट फिक्सिंग– अपने दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों आदि को पुलिस अधिकारी की टिकट से यात्रा आदि करवाना।

पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण –

समाज के नैतिक मूल्यों में पतन भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ब्रिटिश भारत में भी पुलिस कर्मियों के बीच भ्रष्टाचार विद्यमान था। वर्तमान भ्रष्टाचार इस प्राचीन व्यवस्था से किंचित नवीन स्वरूप में विद्यमान है। भारत में सरकार की भर्ती नीति दोषपूर्ण है। प्रथम श्रेणी प्राप्त व्यक्ति भर्ती नीति के कारण प्राथमिक चरण से ही बाहर हो जाता है। ऐसे अभ्यर्थी बड़े पदों की जगह निम्नस्तरीय पदों पर चुने जाते हैं और अपनी असंतुष्टि के कारण अवैध तरीके से प्रगति का प्रयास कर सकते हैं। वेतन का ढाँचा, कार्य की प्रकृति, आवास समस्या और प्रशासनिक व संगठनात्मक समस्या, कार्य के घंटे पुलिस भ्रष्टाचार के उत्तरदायी अन्य कारक हैं। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था एवं नेताओं की बेईमानी के कारण भी पुलिस प्रशासन प्रभावित हो रहा है। राजनेताओं की बढ़ती शक्ति और पभाव भी पुलिसकर्मियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं।

पुलिस के लिए बन रहे कानूनों के प्रवर्तन में भी कई बाधाएं आती है। दूसरी तरफ, पुलिस द्वार प्रवर्तित किये जाने वाले कानूनों को लागू करने में भी बाधाएं आ रही हैं क्योंकि कई कानूनी प्रावधान और अधिनियम अस्पष्ट हैं। अतः पुलिस अस्पष्टता की आड़ में शिकायतकर्ता व आरोपी से वसूली कर सकती है। जैसे 1987 का सती निवारण अधिनियम में किसी विधवा के रिश्तेदारों से वसूली करने के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। अस्पृश्यता, बालश्रम, यातायात प्रबंधन, अश्लीलता प्रतिरोध, अनैतिकता, महिला प्रतिनिधित्व, छेडछाड़, बलात्कार जैसे कई अपराधों की संख्या बहुत अधिक हैं, लेकिन अधिकांश मामले पुलिस प्रशासन के रवैये से अटके पड़े हैं। इन मामलों में पुलिस को रिश्वत वसूलने की खुली छूट मिल जाती है।

पुलिस भ्रष्टाचार संवैधानिक शासन में कैंसर के रूप में हैं। यह नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में कार्य करता है। पुलिस की भ्रष्टता व रिश्वत उगाही की छवि भारत में हर व्यक्ति जानता है। अतः जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो रिश्वत देकर अपना कार्य निकलवा देता है।

मीडिया द्वारा गढ़ी गई कहानियां और अफवाहें भी पुलिस प्रशासन की भ्रष्टता का प्रचार–प्रसार कर उसे बढ़ाने में महती भूमिका निभाती है। पुलिस बल में व्याप्त भ्रष्टाचार जनता के बीच नकारात्मक भावना पैदा करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनों के प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा पहुँचाता है।

भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय –

पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को अग्रांकित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है–

1. स्थानीय पुलिस– अधिक संवेदनशील और जवाबदेह आम नागरिक के दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में कई समस्याएँ आती हैं। दैनिक जीवन के संरक्षण के लिए जो पुलिस कार्यरत है, उनसे संबधित मामलों का निपटारा पंचायत या स्थानीय नागरिक निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे यातायात के नियम, छेडछाड़, सार्वजनिक उपद्रव के मामलों के लिए यदि ऐसा स्थानीय बल है, तो वह बेहतर तरीके से कार्य संपादित कर सकता है। यह बल स्थानीय नागरिकों के साथ निरन्तर संपर्क के कारण एवं छोटे कार्य क्षेत्र में पूर्ण अधिकार के कारण अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ तरीके से निर्वहन कर सकता है।
2. स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना– नियुक्ति और पदोन्नति के लिए रिश्वत पुलिस विभाग की प्रसिद्ध बात है। इसी के साथ स्थानान्तरण की प्रक्रिया भी जुडी हुई है। पुलिस प्रशासन में अधिकारी और राजनेता स्थानान्तरण को प्रतिकार के उपकरण के रूप में काम में लेते हैं। यह दबाव की रणनीति का हथियार है। पोस्टिंग के लिए कोई स्वचालित सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे निश्चित समय अन्तराल पर बराबरी के साथ पदस्थापन संभव हो सके। यहाँ व्यक्तिगत हस्तक्षेप समाप्त होने के कारण कई स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।
3. सूचना प्रौोगिकी का उपयोग– पुलिस द्वारा शिकायतों का पंजीकरण नहीं करना आम नागरिक शिकायत है। शिकायत दर्ज करना अर्थात एफ आई आर न्याय प्रदान करने का पहला कदम है, लेकिन यहीं पर नागरिक को रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए इंटरनेट से स्वचालित व्यवस्था हो। ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था इसे पारदर्शी बना सकती है और पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर कर सकती है।
4. कार्य निष्पादन की निगरानी– पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बढाने के लिए उसके कार्य निष्पादन व प्रदर्शन पर निगरानी के लिए कोई अन्य एजेंसी या नागरिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।
5. राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी– कार्यात्मक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग को राज्य पुलिस को एक निश्चित अवधि के क्रम में स्वतंत्रता देनी चाहिए। पुलिसकर्मियों के तबादलों, नियुक्तियों आदि में कई प्रमुख राजनीतिक दलों से इनका पाला पडता रहता है। इस हस्तक्षेप को कम किया ताना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का चयन वरिष्ठता के आधार पर हो किसी अन्य समिति की चयन प्रक्रिया के अधीन न हो।

6. जवाबदेही को प्रोत्साहन– सेवाओं के संतोषजनक वितरण में पुलिस की जवाबदेही बहुत कम है। आम तौर पर पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज करने से मना कर देते हैं। बिजली विभाग, दूरसंचार विभाग आदि सार्वजनिक विभागों में यदि नागरिक संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास अन्य स्वतंत्र निकायों के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन पुलिस के मामले में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप और सार्वजनिक सुनवाई जवाबदेही को प्रोत्साहित करने का प्रभावी उपकरण है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और प्रमुख नागरिकों के पैनल द्वारा हर महीने या किसी निर्धारित समय अंतराल पर पुलिस के खिलाफ शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जा सकती है।

निष्कर्ष –

सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अन्य विभागों के विपरीत पुलिस विभाग में यह अधिक दिखाई देता है क्योंकि गपशप और अपवाहों ने इसे जंगल की आग की तरह फैला दिया है। पुलिस व्यवस्था विरासत में मिली जागीर की तरह इसे विकसित करने में लगी हुई है। नागरिकों के मन में पुलिस की छवि बहुत खराब है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर यद्यपि जनता जागरूक हुई है परंतु, हकीकत में उसकी तह तक जाकर समाप्त करना दुष्कर कार्य है। एक दोषी पुलिसकर्मी पूरे संगठन का प्रतीक बन गया है और अन्य पुलिसकर्मी जो दोषी नहीं हैं, वे भी इस घेरे में आ जाते हैं। इस कारण प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।

नई सहस्राब्दी में पुलिस का प्रमुख कार्य पुलिसकर्मियों के स्तर को उपर उठाने के साथ अपनी छवि को उज्ज्वल करना भी होना चाहिए। भारत में पुलिस भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि उपर से नीचे तक व्याप्त यह भ्रष्टाचार पूरे समाज को कालिमा में डूबा रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ इस राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान आवश्यक है।

संदर्भ सूची –

1. Aparna Sreevastava, *Role of Police in a changing society,* APH Publication, New Delhi. 1999.
2. Available at:http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption# Executive System 28Police Corruption.29.Accessed on 03.11.2012
3. Bailey D H, *Police and Political development in India* Princeton University Press. New Jersey: 1969.
4. B.K.Prasad, *Social problems in India*, Anmol Publication Pvt Ltd. New Delhi. Pp.341, 2004. Vol.II.
5. Quadri M A, "*Police and Law: A Socio-Legal Analysis"*. Gulshan Publishers, Srinagar. (J&K), 1986.
6. Manjumdar, *Public Finance in Ancient India*, Motilal Banarsidass, Delhi. Available at: *books.google.co.in/ books? Isbn =8170170729. Accessed on 16.11.2012*
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Police_corruption.Accessed on 03.11.2012.
8. India Corruption study 2005.volume 9, corruption in Police Department 2005. Centre for Media Studies. Transparency International India. New Delhi. Available at:

http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption#Executive_System_.28Police Corruption.29.Accessed on 03.11.2012

9. (CMS Study 2005). India Corruption Study 2005. VOL. 9, 'Corruption in Police Department'. July 28, 2005. Centre for Media Studies. Transparency International India. New Delhi.
10. National Commission Report, 1980
11. Radzinowics and Wolfgang, (Edited), *Crime and Justice,* Pp.162. 1977. Vol.II.
12. Rajan V N, *Administration of Law and Order,* Indian Institute of Public Administration, Jaipur. 1979.
13. Ram Ahuja, *Social problems in India*. Rawat Publication, Jaipur. Pp.450-452. 2006.
14. Samasastry R, *Kautilya's:Arthasastra,* Mysore Printing and Publishing House, Mysore,. Pp.15-17, *1967.*
15. Seminar, No.421, Looking back: a sampling of vintage. Paper. Sept. 1994
16. Tim Newburn," Understanding and preventing police corruption: lessons from the literature", Police Research Series, Paper 110, 1999.
17. The Santhanam Report-1962. Govt of India. Available at: www.Google.com. Accessed on 04.11.2012
18. Thomas, *"Corruption in Indian Police".* Available at: http//www.svpnpa.gov.inhtmlpublications. Old Journals upload Journals2004janjun.pdf. Accessed on 01.11.2012.